

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15942/2025

Shahid @ Shooter S/o Shri Bedulla, Aged About 26 Years, R/o Village Shah Chaukha, Police Station Pingava, District Nuh Mewat (Haryana) Presently Residing At Harun Pradhan Ka Makan, Ajji Colony, Vallabharh (Haryana). (At Present Confined In Central Jail Jaipur, District Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15943/2025

Dhoop Singh Gujar Alias Dhruv S/o Shri Moolchand Gurjar, Aged About 40 Years, R/o Roj Ki Dhani, Village Piplai Police Station Bamanwas, District Sawai Madhopur, Rajasthan. (At Present Accused Confined In Central Jail Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jitendra Singh Shekhawat Mr. Nirmal Kumar Sharma Mr. Rajveer Saini
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP with Mr. Rishi Raj Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

09/12/2025

प्रार्थी/अभियुक्तगण शाहीद उर्फ शूटर एवं धूप सिंह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्रमशः दिनांक—
27.11.2025 एवं दिनांक 28.11.2025 के विरुद्ध धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पृथक—पृथक प्रस्तुत ये जमानत आवेदन पत्र,

उन्हें पुलिस थाना **खौ-नागोरियान, जिला जयपुर सिटी (पूर्व)** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-**422/2024**, अपराध अन्तर्गत धारा 394, 120-बी **भारतीय दंड संहिता** में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त दोनों जमानत आवेदन पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण क्रमशः दिनांक 26.10.2025 व दिनांक 08.11.2025 से अभिरक्षा में हैं। उनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं आया है। सह-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। उनके विरुद्ध लंबित प्रकरण में से कुछ प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। घटना दिनांक 03.06.2024 की रही है। लंबे समय के पश्चात् उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थीगण क्रमशः दिनांक 26.10.2025 व दिनांक 08.11.2025 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्कों, सह-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्रों, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य की प्रकृति, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः ये दोनों जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत

बंधपत्र व 25,000—25,000 /— रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. शाहीद उर्फ शूटर पुत्र श्री बेदुल्ला एवं 2. धूप सिंह गुर्जर उर्फ ध्रुव पुत्र श्री मूलचन्द गुर्जर को (यदि वे अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J